

E. M. S. D. H.

संख्या-2330/15-7-16491/1997

प्रश्न

श्री. जगत नाथजी,
संयुक्त संघ,
उत्तर प्रदेश भारत ।

श्री. M.

संयुक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिवपुरी जिला 2 संयुक्त केंद्र,
श्री. तिलक नगर शिवपुरी ।

संज्ञक: दिनांक: 15 जुलाई 1997

शिवपुरी 171 अनुभाग

विषय:-

जानकारी के लिए कि संयुक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिवपुरी जिला द्वारा आयोजित प्रमाण परीक्षा के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह खबरी का लिखित हुआ है कि जान रिपोर्ट पब्लिक स्कूल राबपुर आगरा को लीटरी सेक्शन नई दिल्ली ने सम्बन्धित प्रश्न विद्ये जाने में कि राज्य सरकार को शिक्षा विभाग प्रतिक्रिया के अधीन आया नहीं है :-

- 1- विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को तात्पर्य का सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया में शिक्षा विभाग द्वारा नतिजा एक सहाय होगा ।
- 3- विद्यार्थियों में कम से कम इस प्रकार का प्रतिक्रिया जति/सुसंयत जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संगठित विद्यार्थियों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित सुख के अधिक गुण नहीं दिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैशिक शिक्षा परिषद से माध्यमिक प्राप्त है तथा विद्यार्थियों सम्बन्धित क्षेत्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कॉलेजों में अध्ययन स्कूल नहीं किन्तु प्रमाणिक नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से माध्यमिक तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्पादन हो जायेगी ।

150 संस्था अधिक एवं शिक्षा परिषदों को राजकोष सहायता मिलेगी ।

Shilpi Arora
Manager
John Milton Public School
JOHN MILTON PUBLIC SCHOOL

161 कर्मचारियों की सेवा में कानूनी बाधों की और उन्हें महात्मा प्रान्त आतासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुपस्थिति से वा निपुणता का साथ उपलब्ध कराए जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा तथा राज्य पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तैसा उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित पुस्तक/सामग्री में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि :-

111 विद्यालय में कामगमनी तथा प्रवेश शुल्क के मद में कोई धराराश नहीं की जा रही है ।

121 निर्धारित प्रतिबन्धों का समावेश बाह्य के अन्य विन्दुओं के अन्तर्गत करके बाह्य के अधिभूत प्रति 3 माह में भारत को उपलब्ध कराई जावे विद्यालय का संभालन हिन्दी सापेक्ष से किया जायेगा तथा तीसरे सत्र 1950 द्वारा शुरू करे सुनिश्चित किया जाये कि प्रथम श्रेणी की अनुपस्थिति प्रमाण पर केवल हिन्दी माध्यम से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु दिया जा रहा है । विद्यालय में कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षितर कर्मचारियों के वेतन अनुभव के अनुसार ही अनुपस्थिति दिया जायेगा तथा छात्र संख्या के नाहकम में किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन अनुपस्थिति के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाय कि शिक्षक द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करते में कठिनाई उत्पन्न हो सके तो शिक्षिता वरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा अनुपस्थिति प्रमाण पर ध्यान से लिया जायेगा ।

भारतीय,

आर्थिक गणनी,
संयुक्त सचिव ।

FO 233811/15-7-1977 तद्विनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा विभाग आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा ।
- 4- निरीक्षक आंगण शालीय विद्यालय 3050 लखनऊ ।
- 5- प्रधानक, जैन मिशन पब्लिक स्कूल, मेरठ, श्री श्री रामपुर शिवालय ।